R 1121 PBR/15

समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय ग्वालियर म.प्र.

000

रा. रि. क्र. /15-16

मौजा -बदनूर ढाना राजेन्द्र वार्ड गंज बैतूल म.प्र.

दिनांक 19.5.15 को श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अधि० द्वारा प्रस्तुत।
19.5.15
SO

बाबुलाल शर्मा पिता ~~ब~~ नानूराम शर्मा उम्र 58 वर्ष
निवासी भग्गुढाना बैतूल विनोबा वार्ड
हा.मु. मुरलीपुरा स्कीम डी.204, व 205, जयपुर (राजस्थान)

--- रिविजनकर्ता

विरूद्ध

1. सर्वसाधारण व अन्य
2. प्रदीप कुमार पिता स्व.एन.कुमार तिवारी निवासी राजेन्द्र वार्ड बैतूल गंज बैतूल
3. दिलीप कुमार पिता स्व.एन.कुमार तिवारी निवासी राजेन्द्र वार्ड बैतूल गंज बैतूल म.प्र.

---गैर रिविजनकर्ता गण

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
19/5/15

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता -

रिविजनकर्ता की ओर से विनय है -

*. माननीय तहसीलदार न्यायालय बैतूल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1255 अ. 6/13-14 मौजा बदनुरढाना राजेन्द्र वार्ड बैतूल गंज बैतूल पक्षकार बाबुलाल शर्मा विरूद्ध सर्वसाधारण व अन्य आदेश दिनांक 29.4.15 से दुखी होकर रिविजनकर्ता समय सीमा मे यह रिविजन प्रस्तुत कर रहा है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1121—पीबीआर/2015 जिला बेतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
11—06—15	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29—04—2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा है और उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण नहीं किया जा रहा है, अतः तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रथमतः उसकी आपत्तियों का निराकरण करें, तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कर आदेश पारित करें । 2— इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण ग्राहयता के स्तर पर ही समाप्त किया जाता है । **अध्यक्ष**	